// **प्रतिलिपि** //

जमानत याचिका क्र– **2544/2022**
आदेश दिनांक– **10.10.2022**
अपराध क्रमांक– **182/2022**
आरक्षी केन्द्र– **आबकारी वृत्त आरंग**

न्यायालयः **चतुर्थदश अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.)**
पक्षकार :–

तामेश्वर मनहरे, उम्र 26 वर्ष,
पिता –श्री आनंदराम मनहरे
निवासी–ग्राम पारागांव, थाना आरंग,
रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.) ––आवेदक/अभियुक्त

// वि रू द्ध //

छ0ग0 राज्य
द्वारा–थाना आरंग
आबकारी वृत्त –अनावेदक/राज्य

———————————————————————

माननीय सत्र न्यायालय, रायपुर से यह जमानत आवेदन–पत्र मय केस डायरी विधिवत् निवर्तन हेतु अंतरण पर प्राप्त हुआ।

आवेदक/अभियुक्त तामेश्वर मनहरे द्वारा श्री बादल सुराना, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य द्वारा श्री मनोज वर्मा, विद्वान् अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

इस आदेश के द्वारा आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदक ने आवेदन पत्र में यह कथन किया है कि न्यायालय के समक्ष आवेदक की ओर से यह **प्रथम**

जमानत आवेदन पत्र है, अन्य कोई जमानत आवेदन माननीय सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत, लंबित या निरस्त नहीं हुआ है। उपरोक्त कथन के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त के भाई **परमेश्वर मनहरे** का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं तर्क इस प्रकार है कि वह दिनांक–29.09.2022 से अभिरक्षा में निरूद्ध है। वह निर्दोष है, उसे झूठा फॅसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं था। थाना–आरंग की पुलिस द्वारा आवेदक/अभियुक्त को शंका के आधार पर पकड़ कर यह अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आवेदक/अभियुक्त अपने पास कोई शराब नहीं रखा था और न ही उससे कोई जप्ती हुई है। आवेदक/अभियुक्त 26 वर्षीय नवयुवक है एवं उसे अधिक दिनों तक न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध किये जाने से उसके मानसिक एवं शारीरिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। आवेदक/अभियुक्त पर आरोपित धारा आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड से दण्डनीय अपराध नहीं है। वह आदेशित शर्तों का पालन करने तत्पर है,

अतः जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया है।

अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अभियुक्त को जमानत का लाभ नहीं दिये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध 10 बॉटल सिम्बा बीयर प्रत्येक में 650 एम0एल0 कुल 6.500 बल्क लीटर एवं 15 पौवा गोवा स्पेशल 2.700 बल्क लीटर प्रत्येक में 180 एम एल कुल मात्रा **9.200 बल्क लीटर** को बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखे जाने पर 34 (2), 59(क) आबकारी अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध पंजीबद्ध अपराध धारा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय होकर, आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड से दण्डनीय नहीं है। आवेदक नवयुवक है। आवेदक/अभियुक्त रिमाण्ड स्तर से दिनांक 29.09.2022 से अभिरक्षा में निरूद्ध है, प्रकरण के अंतिम निराकरण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। आवेदक/अभियुक्त रायपुर जिले का निवासी है जिसके फरार होने की संभावना नगण्य है। प्रकरण में सभी महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही लगभग पूर्ण हो चुकी है जिससे आवेदक/अभियुक्त को

और अधिक अभिरक्षा में रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण की उपरोक्त समग्र परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दण्ड़ प्रकिया संहिता, 1973 स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक की ओर से ₹20,000 (बीस हजार रूपये) की **एक** सक्षम जमानत एवं समतुल्य राशि का व्यक्तिगत बंध पत्र विचारण न्यायालय की संतुष्टि योग्य पेश किया जाये तो उसे आरक्षी केन्द्र आबकारी वृत्त आरंग, जिला रायपुर, के अपराध क्रमांक 182/2022, अंतर्गत धारा–34 (2), 59(क) आबकारी अधिनियम के अपराध में निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा कर दिया जावे :–

1. **आवेदक/अभियुक्त निष्पादित बंधपत्र की शर्तो के अनुसार हाजिर होगा।**
2. **आवेदक/अभियुक्त इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी अथवा न्यायालय के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे**

कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगे या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।

आदेश की एक प्रतिलिपि माननीय सत्र न्यायाधीश, रायपुर की ओर सादर अवलोकनार्थ एवं एक प्रतिलिपि संबंधित मजिस्ट्रेट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा एक प्रति संबंधित थाना प्रभारी को मय केस डायरी प्रेषित की जावे।

परिणाम दर्ज कर अभिलेख नियमानुसार व्यवस्थित किये जाने के उपरांत विहित परिसीमाकाल में अभिलेखागार में संचित हो।

प्रकरण की कार्यवाही समाप्त।

सही/
(श्रीमती विभा पाण्डेय)
चतुर्थदश अपर सत्र न्यायाधीश,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

प्रतिलिपि :–
1/ माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, रायपुर की ओर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2/ संबंधित न्यायालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3/ आरक्षी केंद्र आबकारी वृत्त आरंग, रायपुर की ओर मय केस डायरी अवलोकनार्थ प्रेषित।

सही/–
(श्रीमती विभा पाण्डेय)
चतुर्थदश अपर सत्र न्यायाधीश,
रायपुर(छत्तीसगढ़)